UPMP010016452026

न्यायालय Adj V, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SWAPAN DEEP SINGHAL), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –** UP02717

फौजदारी प्रकीर्ण सं.09/2026

राज्य बनाम कमलेश

13.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त कमलेश मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मामले का निस्तारण किये जाने की याचना की गयी। इस संदर्भ में अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने का कथन किया है। अतः अभियुक्त धारा 344 दं.प्र.सं. के अपराध में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त कमलेश को जुर्म संस्वीकृति के आधार पर धारा 344 दं.प्र.सं. के अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को धारा 344 दं.प्र.सं. के अपराध में मुव. 500/– (पांच सौ) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 07 दिन के साधारण कारावास की सजा भोगेा।

(स्वपनदीप सिंघल) UP 2717
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –05,
मैनपुरी।

SWAPAN DEEP SINGHAL

Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2026.07.14 11:50:18 +0530